13

समक्ष : न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर

प्र.क्रं. /2017/निगरानी R 684-I-17

1—रामस्वरूप 2—महावीर पुत्रगण गोपाल जाति मीणा निवासी ग्राम बडोदियाघाट तह. बडौदा जिला श्योपुर म.प्र.

..............निगरानीकर्तागण

बनाम

म.प्र. शासन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्योपुर

.............गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी अंतर्गत म.प्र.भू0राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 विरूद्व न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्योपुर के प्र.क्रं. 03/2012—13/अ.मा. में पारित आदेश दिनांक 20.09.16

मान्यवर महोदय,

निगरानीकर्तागण की ओर से निम्न निगरानी पेश है:—

निगरानी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:—

यह कि ग्राम बडोदियाघाट की भूमि सर्वे क्रं. 56 व 102 आवेदकगण के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि है जिसका व्यवस्थापन नायब तहसीलदार वृत बडौदा के प्र.क्रं. 26/96—97/अ—19 आदेश दिनांक 17.09.97 से विधिवत किया गया था। उक्त आदेश के विरूद्व लगभग 15—16 वर्ष पूर्व दुर्भावनापूर्वक बाबूलाल पुत्र अर्जुनलाल मीणा द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्योपुर के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की जिसे अनुविभाागीय अधिकारी श्योपुर ने अपने प्रकरण क्रमांक 3/12—13/अ.मा. पर दर्ज कर धारा—5 अवधि विधान का आवेदन स्वीकार करते हुए दिनांक 20.09.16 को आवेदकगण के पटटे निरस्त कर दिये, जिसकी जानकारी यथासमय आवेदकगण के अभिभाषक को नहीं दी गई। आवेदकगण के अभिभाषक को दिनांक 20.01.17 को आदेश नोट कराया गया तब जाकर आलोच्य आदेश की जानकारी हुई उससे व्यथीत होकर यह निगरानी पेश की जा रही हैं

निगरानी के आधार

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एवं कार्यवाही विधि के विपरित तथा नियम प्रकिया के विरूद्व होने से स्थिर होने योग्य नहीं है।

क्रमंश:............2

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 684–एक / 17 जिला –श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
02/07/18	आवेदक के अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित उपस्थित होकर यह निगरानी अनुविभागीय आधिकारी श्योपुर के प्रकरण कमांक 3 / 2012–13 / अपील में पारित आदेश दिनांक 20.9.16 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह अपील अनुविभगीय अधिकारी श्योपुर के आदेश दिनांक 20.9.16 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है जबकि द्वितीय अपील प्रस्तुत करने का प्रावधान अपर आयुक्त न्यायालय में प्रस्तुत करने का है। यह निगरानी इस न्यायालय में प्रचलन योग्य नहीं होने से आवेदक अधिवक्ता को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु मूल दस्तावेजों के साथ वापिस किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रकरण समाप्त होकर दा0 द0 हो। सदस्य	